**संख्या-22/2024/001-337-12-5099-32-2024**

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-5** **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनयें, 0112-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/653/पुनर्विनियोग/नमामि गंगे/2023-24, दिनांक 15.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 0201-कृषि विकास की योजनायें के मानक मद 27-सब्सिडी में उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनयें, 0112-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 167.960 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 503.880 लाख तथा 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 167.960 लाख अर्थात कुल धनराशि रू० 839.800 लाख (रूपये आठ करोड़ उन्तालीस लाख अस्सी हजार मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-749 दिनांक 21.03.2024 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) वर्तमान में प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक उ0प्र0 का होगा।

(2) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.03.2024 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलान्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(9) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का होगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-सयम पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **प्रस्तावित धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 2402007890112<br>नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना | 27<br>सब्सिडी | 1,67,96,000<br>( रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख छियानबे हजार मात्र ) |
| 2 | 083 | 2402007890112<br>नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना | 42<br>अन्य व्यय | 5,03,88,000<br>( रुपये पांच करोड़ तीन लाख अट्ठासी हजार मात्र ) |
| 3 | 083 | 2402007890112<br>नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1,67,96,000<br>( रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख छियानबे हजार मात्र ) |
| | **कुल** | | | **8,39,80,000**<br>**( रुपये आठ करोड़ उनतालीस लाख अस्सी हजार मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 8,39,80,000<br>( रुपये आठ करोड़ उनतालीस लाख अस्सी हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या-22/2024/001-337-12-5099-32-2024, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-337-12-5099-32-2024

विषय:- नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 | 2401007890201 (कृषि विकास योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.) ) | 27 (सब्सिडी) | 23,40,00,000 रुपये तेईस करोड़ चालीस लाख मात्र | 21,90,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ नब्बे लाख मात्र | -8,39,80,000 रुपये आठ करोड़ उनतालीस लाख अस्सी हजार मात्र | 15,00,20,000 | 2023-2024 |

निम्नलिखित निधियो में प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 | 2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना ) | 27 (सब्सिडी) | 0 | 1,67,96,000 रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख छियानबे हजार मात्र | 1,67,96,000 | 2023-2024 |
| 083 | 2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना ) | 42 (अन्य व्यय) | 0 | 5,03,88,000 रुपये पांच करोड़ तीन लाख अट्ठासी हजार मात्र | 5,03,88,000 | 2023-2024 |
| 083 | 2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना ) | 44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय) | 0 | 1,67,96,000 रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख छियानबे हजार मात्र | 1,67,96,000 | 2023-2024 |

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ-केन्द्र पुरोनिधानित आरकेवीवाई योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राविधान के सापेक्ष कम आऊटले एवं प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के कारण।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब-योजनान्तर्गत भारत सरकार से अनुदान संख्या-83 में केन्द्रांश अवमुक्त के कारण तथा पूर्व में लेखाशीर्षक एवं प्राविधान उपलब्ध होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-749

संख्या: आर ई-< > -2023-24, दिनांक 21 मार्च, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी

(रमेश चन्द्र तिवारी)

Date: 21-03-2024 16:48:48

Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20232024-337-12-5099-32-2024, दिनांक 21 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।